भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 259
मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025/11 अग्रहायण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

राजस्थान में डेयरी सहकारी समितियाँ

†259. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में सहकारी समितियों द्वारा स्थापित दुग्ध शीतलन संयंत्रों द्वारा सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;
(ख) अमूल जैसी प्रमुख डेयरी सहकारी समितियों द्वारा नये दुग्ध शीतलन संयंत्र स्थापित करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का, स्थल चयन, खरीद तथा आवश्यक खाद्य सुरक्षा अनुपालन सहित ब्यौरा क्या है;
(ग) राजस्थान में अमूल तथा अन्य प्रमुख डेयरी सहकारी समितियों द्वारा डेयरी किसानों को प्रति लीटर क्या दरें दी जा रही हैं तथा ये दरें किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं तथा डेयरी किसानों को किस प्रकार सूचित की जाती हैं; और
(घ) क्या सरकार कम सुविधाओं वाले इलाकों में प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए दुग्ध सहकारी समितियों को वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करती है, और क्या राजस्थान में, विशेषकर झालावाड़-बारां लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अमूल या दूसरी बड़ी सहकारी समितियों के ऐसे संयंत्र लगाने की योजना के बारे में कोई जानकारी मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) और उससे संबद्ध दुग्ध संघों द्वारा विगत पांच वर्षों में कोई दुग्ध शीतालन संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है । राजस्थान के जिला दुग्ध संघों के दुग्ध सहकारी समितियों को दुग्घ शीतालन संयंत्रों के स्थान पर बल्क दुग्ध कूलर्स प्रदान किए जा रहे हैं ।

(ख) परिवहन लागत, आदि को ध्यान में रखते हुए उच्च दुग्ध प्रापण वाली डेयरी सहकारी समितियों, कम प्रापण वाली समितियों के क्लस्टरों को RCDF BMC आबंटन नीति 2024 के अनुसार थोक दुग्ध कूलर्स (BMCs) प्रदान

किए जा रहे हैं । इसके अलावा इन बल्क मिल्क कूलर समितियों से FSSAI खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है ।

(ग) दुग्ध प्रापण मूल्य का निर्णय RCDF/दुग्ध संघ द्वारा दूध में वसा का प्रतिशत, बाजार की स्थिति, मांग-आपूर्ति में अंतर, स्टॉक की स्थिति, मौसम/जलवायु दशा, हरे चारे की उपलब्धता, आदि के आधार पर किया जाता है । जिला दुग्ध संघ द्वारा तैयार किए गए रेट-चार्ट के माध्यम से डेयरी किसान को दुग्ध प्रापण दर सूचित की जाती है ।

राजस्थान में प्रमुख दुग्ध संघों द्वारा अक्टूबर माह, 2025 के लिए औसत दुग्ध प्रापण मूल्य गाय के दूध के लिए 37.13 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 59.58 रुपये प्रति लीटर था (राजस्थान सरकार द्वारा भुगतान की गई 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी सहित) ।

(घ) पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने अपनी योजनाओं के माध्यम से दुग्ध सहकारी समितियों को दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है । इसका ब्योरा निम्नानुसार है:
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) योजना: उधारदाता एजेंसी के रूप में एनडीडीबी ने राजस्थान राज्य में AHIDF योजना के अधीन कोई परियोजना स्वीकृत नहीं किया है ।
तत्कालीन डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (AHIDF के साथ विलयित) के अंतर्गत, DIDF योजना के अधीन 59.77 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋण और 79.33 करोड़ रुपये के परियोजना परिव्यय के साथ भीलवाड़ा दुग्ध संघ, राजस्थान का एक परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है । दिनांक 15 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार भीलवाड़ा दुग्ध संघ को 55.35 करोड़ रुपये के ऋण का संवितरण किया गया है ।
5 LLPD के दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधा के निर्माण के साथ भीलवाड़ा दुग्ध संघ की परियोजना पूर्ण हो गई है । DIDF योजना के अधीन राजस्थान राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

						(करोड़ रुपये)
अंतिम उधारकर्ता का नाम	**परियोजना का ब्योरा**	**कुल परिव्यय**	**स्वीकृत ऋण**	**EB मार्जिन**	**संवितरित ऋण**	**परियोजना की स्थिति**
भीलवाड़ा दुग्ध संघ, राजस्थान	भीलवाड़ा में 500 TLPD के नए डेयरी संयंत्र की स्थापना	79.33	59.77	19.55	55.35	परियोजना पूर्ण
कुल		**79.33**	**59.77**	**19.55**	**55.35**	

इसके अलावा वर्तमान में झालावाड़-बरन क्षेत्र में अमूल का कोई संयंत्र नहीं है । कोटा में स्थित अपने कॉन्ट्रैक्ट विनिर्माण संयंत्र के माध्यम से अमूल इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है ।

*****